राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद
RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL
सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001(राज0)
Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)
Visit us at:-rmcjaipur.org दूरभाष / Phone No. -0141-2225102, 2221734 ई–मेल / E-mail:- rajmedcouncil@yahoo.in

क्रमांक.–आर.एम.सी / लीगल / 2024 / 6397 दिनांक 13 / 06 / 2024

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक,
झुन्झुनु (राज0) 333001 शिकायतकर्ता

बनाम

डॉ. संजय धनकड़,
हाऊसिंग बोर्ड ऑफिस के पास,
चुरू रोड, झुन्झुनु (राज0) परिवादी

आदेश

1.Dr. Ravi Prakash Mathur	President
2.Dr. Rajesh Kumar Sharma	Registrar/Secretary
3.Dr. Subhash Nepalia	Member
4.Dr. Deepak Gupta	Member
5.Dr. Shri kant Sharma	Member
6.Dr. Kushal Babu Gehlot	Member
7.Dr. V.B. Singh	Member
8.Dr. Deepak Kumar Mathur	Member
9.Dr. Deepak Sharma	Member
10.Dr. Sanjeev Buri	Member
11. Dr. Raj Kumar Rathore	Member
12.Dr. Pramod Tiwari	Member
13.Dr. Ram Ratan	Member
14.Dr. Ramesh Chand Sharma	Member
15.Dr. Shaishav Somani	Member
16.Dr. Anoop Singh Gurjar	Member
17.Dr. Rahul Chandel	Member
18.Dr. Vinod Joshi	Member
19.Dr. Ghanshyam Singh Rathore	Member
20.Dr. Deepak Kumar Dubey	Member
21.Dr. Shrawan Kumar Meena	Member

श्री देवेन्द्र कुमार गर्ग, सहायक औषधि नियंत्रक, कार्यालय औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक, झुन्झुनु ने अपने पत्रांक ADC-LA/JJN/2022/284 दिनांक 23.06.2022 द्वारा डॉ. संजय धनकड़ (आरएमसी पंजीयन क्रमांक 23356 दिनांक 30.04.2005) के विरूद्ध सांकेतिक भाषा में औषधियां लिखने एवं उनके द्वारा औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अपने मरीजो को दवाईया रखने बाबत् रिकॉर्ड जो आवश्यक है का संधारण नही किया जा रहा है बाबत् शिकायत से संबंधित दस्तावेज सलग्न कर जांच करने हेतु निवेदन किया था।

परिषद कार्यालय के पत्रांक आरएमसी / लीगल / फाईल 25 / 22 / 2022 / 5855 दिनांक 08.08.2022 द्वारा डॉ. संजय धनकड़ को प्रकरण की पैरावाईज रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के निर्देश प्रदान किये किन्तु उनका प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ। तत्पश्चात् शिकायतकर्ता श्री निमित्त अग्रवाल एवं डॉ. संजय धनकड़ को पत्रांक 22.04.2023 द्वारा पीनल एवं ऐथिकल कमेटी के समक्ष दिनांक 27.04.2023 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु डॉ. धनकड़ ने तबीयत खराब होने पर उपस्थित होने में असमर्थता जाहीर करते हुये पत्र दिनांक 08.08.2022

Scanned with OKEN Scanner

के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। परिषद् कार्यालय के पत्रांक 5267 दिनांक 12.01.2024 व 6285 निांक 17.05.2024 को भी डॉ. धनकड़ का पीनल एवं ऐथिकल कमेटी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु पता अपूर्ण की टिप्पणी अंकित कर डाक विभाग ने डाक पुनः परिषद् कार्यालय में भिजवा दी।

इसी दरमियान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी झुन्झुनु का पत्रांक सामान्य/2024/1112 दिनांक 30.05.2024 जो कि निदेशक (जन स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित है, मे अन्य मरीज महरूबा ईद बानो पत्नि साबीर निवासी, नुआं, झुन्झुनु के गलत किडनी निकालने के प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें डॉ. संजय धनकड़ को आरोपित किया है।

उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये परिषद् कार्यालय द्वारा उक्त किडनी प्रकरण का संज्ञान लेते हुये प्रकरण को पीनल एवं ऐथिकल कमेटी के समक्ष रखा गया जिसमें कमेटी क सदस्यों ने प्रकरण को आगामी जनरल बॉडी में सजा के बिन्दु पर विचार करने हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।

जनरल बॉडी की बैठक दिनांक 12.06.2024 में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों ने डॉ. संजय धनकड़ का पंजीयन भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन 8.2 के तहत् तत्काल प्रभाव से **PENAL ERASE** करने का निर्णय लिया गया साथ ही उल्लेख किया कि उक्त निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन होगा।

(डॉ. राजेश शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान मेडिकल कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः—आर.एम.सी/लीगल/2024/6397 दिनांक 13/06/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पॉकेट—14, सेक्टर—8, द्वारका फेज 1, नई दिल्ली—110077
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निदेशक जन स्वा. निदेशालय चिकित्सा एवं सेवायें राजस्थान जयपुर एवं अध्यक्ष राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) निदेशालय चिकित्सा एवं सेवायें राजस्थान जयपुर।
8. डॉ. निमित्त अग्रवाल, मोदी रोड़, झुन्झुनु राज0।
9. डॉ. संजय धनकड़, हाऊसिंग बोर्ड ऑफिस के पास, चुरू रोड़, झुन्झुनु राज0
10. प्रभारी पंजीयन शाखा, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
11. प्रभारी लेखानुभाग, राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर।
12. प्रभारी रिकॉर्ड को आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली प्रेषित कर लेख है कि संबंधित चिकित्सक की पत्रावली नत्थी कर रिकॉर्ड में रखें।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. राजेश शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान मेडिकल कौंसिल
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner